

उत्तर प्रदेश शासन,  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन  
कार्यक्रम अनुभाग,  
संख्या-2021/69-1-98-67 (सा)/97  
लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 1998

### कार्यालय-आदेश

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 1767 / 69-1-97-67(सा) / 97 दिनांक 15 नवम्बर, 1997 के द्वारा सृजित अवर अभियन्ता के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के लिये विभिन्न खोतों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्क्रीनिंग एवं उपर्युक्त अभ्यर्थियों की चयन हेतु शासनादेश संख्या-664 / 69-1-98-67 (सा)/ 97, दिनांक 24.4.98 द्वारा गठित समिति को निरस्त करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल नियमानुसार चयन समिति के गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) श्री सी.एम. श्रीवास्तव,  
निदेशक,  
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.। अध्यक्ष,
- (2) श्रीमती हेमलता ढौँडियाल,  
संयुक्त सचिव,  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन  
कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन। अध्यक्ष,
- (3) श्री विमल प्रकाश,  
वित्त नियंत्रक,  
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.। अध्यक्ष,
- (4) श्री कृष्ण कान्त  
मुख्य अभियन्ता,  
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.। सदस्य
- (5) श्री बलराम वैश्य,  
उप निदेशक (प्रशासन),  
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.। सदस्य / सचिव

2. उपर्युक्तानुसार गठित उक्त समिति प्राप्त प्रार्थना पत्रों की स्क्रीनिंग कर उपयुक्त पायेपाये गये अभ्यर्थियों का चयन करने के उपरान्त अपनी संस्तुति अध्यक्ष, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार नियमानुसार शासन का अनुमोदन प्राप्त करके पदाधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

भवदीय,

(एस.एन. झा)  
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- (1) संबंधित अधिकारीगण।
- (2) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ।
- (3) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौँडियाल)  
संयुक्त संथिव